

प्रेस नोट

अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 03 नफर अभियुक्तगण रामनगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार ।



श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा गंभीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय तथा सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली महोदय व श्री वेद प्रकाश राय प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना रामनगर पुलिस टीम में शामिल उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी भीटी मय हमराह उ0नि0 श्री विश्वनाथ सोनकर व HC राजेश कुमार, का0 कुन्नू यादव , का0 शशि कुमार द्वारा स्कीम 3 के तहत चेकिंग के दौरान तीन व्यक्ति पिड्डू बैग लिये विश्वसुन्दरी पुल के दाहिनी तरफ से आते दिखायी दिये कि हम पुलिस वालों को देखकर रूक गये और पीछे मुड़कर तेज कदमों से पुल के उपर चढ़ने का प्रयास करने लगे शक होने पर रोका व टोका गया तो भागने का प्रयास किये जिन्हे हमराही पुलिस बल के सहयोग से ढलान के मध्य में आवश्यक बल का प्रयोग कर तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया भागने का कारण पूछते हुए, जामा तालाशी लिया गया, तो बताए कि साहब हमारे पास शराब है, जिसे हमलोग यहाँ से ले जाकर बिहार में ऊँचे दामों में बेचते है । नाम पता पूछने पर पहले ने अपना नाम राहुल उर्फ बिट्टू s/o उमेश कुर्मी निवासी ग्राम- उमरा थाना नोखा जिला रोहतास बिहार उम्र 20 वर्ष बताया जामा तालाशी लिया गया तो लिये हुए,पिड्डू बैग से 26 अदद 8-PM, राडिको, 180 MI का बरामद हुआ तथा पहने पैण्ट के दाहिने जेब से 120/- रूपया बरामद हुआ, दूसरे ने अपना नाम संतोष कुमार s/o इन्दर सिंह

चन्द्रवशी नि० उमरा थाना नोखा जिला रोहतास बिहार उम्र 20 वर्ष की जामा तालाशी ली गयी, तो लिये हुए पिट्टू बैग में से 24 अदद पाउच 8,pm. 180 mL रेडिको, व पहने हुए पैन्ट की दाहिनी जेब से 150/- रूपया बरामद हुआ, तीसरे ने अपना नाम आलिम s/o इदरिश उर्फ जोखन निवासी डुमरा थाना नोखा जिला रोहतास बिहार उम्र 19 वर्ष बताया लिए हुए पिट्टू बैग से 24 पाउच 8 PM. 180 ML रेडिको बरामद हुआ तथा जामा तालाशी से पहने पैन्ट की दाहिने जेब से 130/- रूपया, बरामद हुआ उक्त व्यक्तियों से शराब रखने के सम्बन्ध में कागजात तलब किया गया, तो दिखाने से कासिर रहे। अभियुक्त गण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 60Ex Act का दण्डनीय अपराध है जिन्हें कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 13.40 बजे हिरासत पुलिस में लेकर बरामद शुदा माल को कब्जा पुलिस में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग/ आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 0150/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम भादवि बनाम 1.राहुल उर्फ बिट्टू s/o उमेश कुर्मी निवासी ग्राम- डुमरा थाना नोखा जिला रोहतास बिहार उम्र 20 वर्ष।
2. मु०अ०सं० 0151/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम भादवि बनाम 1संतोष कुमार s/o इन्दर सिंह चन्द्रवशी नि० डुमरा थाना नोखा जिला रोहतास बिहार उम्र 20 वर्ष।
3. मु०अ०सं० 0152/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम भादवि बनाम 1.आलिम s/o इदरिश उर्फ जोखन निवासी डुमरा थाना नोखा जिला रोहतास बिहार उम्र 19 वर्ष ।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.राहुल उर्फ बिट्टू s/o उमेश कुर्मी निवासी ग्राम- डुमरा थाना नोखा जिला रोहतास बिहार उम्र 20 वर्ष।
2. संतोष कुमार s/o इन्दर सिंह चन्द्रवशी नि० डुमरा थाना नोखा जिला रोहतास बिहार उम्र 20 वर्ष
3. आलिम s/o इदरिश उर्फ जोखन निवासी डुमरा थाना नोखा जिला रोहतास बिहार उम्र 19 वर्ष ।

विवरण बरामदगी- अभियुक्तगण के पास से कुल 74 अदद अवैध अंग्रेजी शराब 8 PM (पाउच 180 mL) RADICO ब्राण्ड तथा जामा तलाशी से कुल 400 रूपये बरामद ।

गिरफ्तारी का स्थान:-विश्वसुन्दरी पुल के नीचे, थाना रामनगर, वाराणसी।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय- 25.06.2021 समय 13.40PM।

गिरफ्तारी/ बरामदगी टीम थाना रामनगर वाराणसी :-

- 1.उ०नि० श्री प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी भीटी, थाना रामनगर, वाराणसी।
- 2.उ०नि० श्री विश्वनाथ सोनकर, थाना रामनगर,वाराणसी।
3. HC राजेश कुमार, थाना रामनगर, वाराणसी।
4. का० कुन्नू यादव, थाना रामनगर, वाराणसी।
5. का० शशि कुमार, थाना रामनगर, वाराणसी।